Q. आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या बाधाएँ हैं? इन बाधाओं को दूर करने के उपाय बतलाइये।

Ans:→ साधारण बोलचाल की भाषा में किसी राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है। जबकि किसी राज्य में विदेशी भी रहते हैं और उन्हें उस राज्य का नागरिक नहीं कहा जा सकता वास्तव में नागरिक केवल उसे ही कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हों। महान विद्वान अरस्तु के अनुसार "एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किये गये सम्मान का उपभोग करता हो।" जबकि वट्टल (Vattal) के अनुसार "नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्यों द्वारा समाज से बंधे हों, जो समाज के नियंत्रण में रहते हों और जो समाज द्वारा प्रस्तुत सुविधाओं का निरन्तर रूप से उपभोग करते हों।" इस प्रकार किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के लिए तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं जिनमें पहली शर्त ~~होती~~ है ~~कि~~ राज्य की सदस्यता प्राप्त करना दूसरे राज्य द्वारा उसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जाय तथा तीसरी शर्त है कि वह ~~व्यक्ति~~ व्यक्ति राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखता हो।

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य द्वारा ~~प्र~~ प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है तथा राज्य के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है। इसप्रकार अधिकार और कर्त्तव्यों के उचित रूप से पालन को ही आदर्श नागरिकता कही जा सकती है। लेकिन आदर्श नागरिकता के इस लक्ष्य को ~~प्राप्त~~ प्राप्त करने में अनेक बाधाएँ आती हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं:-

(क) व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता — कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में अपना स्वार्थ ही सबकुछ होता है ऐसे

व्यक्तियों के लिए समाज या देश के हित का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही लोग कालाबाजारी करने वाले तथा भ्रष्टाचारी होते हैं और ऐसे लोगों द्वारा कुछ रुपयों के बदले राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सौदा किया जाता है।

(ख) अकर्मण्यता — अकर्मण्य व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करना पसन्द नहीं करते और अपने कर्तव्य पालन से दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो अपने मताधिकार का सही उपयोग करते हैं न ही ~~अपने कर्तव्यों का समाज और राज्य के प्रति~~ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

(ग) अज्ञानता — अज्ञानी व्यक्ति अपनी राजनीतिक शक्ति और सार्वजनिक कर्तव्य का पालन अपने विवेक के आधार पर नहीं बल्कि दूसरे स्वार्थी लोगों के फुसलाने में आकर करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति न तो अपना विकास कर सकता है न राष्ट्र का न ही वह एक आदर्श नागरिक हो सकता है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुची — बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने तथा अपने परिवार को ही सबकुछ मानकर सार्वजनिक समस्याओं के प्रति अपनी रुची नहीं दिखाते हैं।

(ङ) गंभीर आर्थिक विषमता या ~~निर्धनता~~ निर्धनता :- अनेक लोगों को ~~उनके~~ आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही उनकी सारी शक्ति और ऊर्जा नष्ट होती रहती है उसे सार्वजनिक कर्तव्यों के समक्ष में सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अनेक व्यक्ति निर्धनता के कारण चोरी, डकैती, हत्या ~~आदि~~ आदि समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं।

(च) संकीर्ण राजनीतिक दल — अनेक दलों का निर्माण भाषा, जाति, धर्म, प्रान्त आदि के तुच्छ स्वार्थ के आधार पर होते हैं और ऐसे दलों से साम्प्रदायिकता, जातियता आदि राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। और ~~ये~~ आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधक होती है।